असाधारण महा सभा की सूचना Notice for Extraordinary General Meeting

28 सितंबर 2015, मंगलूरु 28™ SEPTEMBER 2015, MANGALURU





प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु - 575 001



Corporation Bank

Head Office : Mangala Devi Temple Road, Mangaluru – 575 001

विषय सूची CONTENTS

| | पृष्ठ संख्य Page No |
|-----------------------|------------------------|
| | |
| सूचना | 1 |
| NOTICE | 2 |
| टिप्पणियाँ | 3 |
| NOTES | 4 |
| व्याख्यात्मक कथन | 11 |
| EXPLANATORY STATEMENT | 12 |
| | |
| प्रॉक्सी फार्म | 17 |
| PROXY FORM | 18 |



प्रधान कार्यालय - मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु - 575 001 द.क. जिला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण महासभा सोमवार, 28 सितंबर, 2015 को पूर्वाह्व 11.00 बजे सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूर – 575 001 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगा :

मद संख्या 1

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :-

'संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनयम, 1980 की धारा 3(2बी), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (योजना) के खण्ड 20, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए ईकिटी सूचीकरण करार के खण्ड 23 (उसमें किसी आशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसरण में और कार्पोरशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 4ए के प्रावधानों तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या संबंधित अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/मार्गनिर्देश, यदि कोई है तो, के अनुसार लागू हद तक और कार्पोरेशन बैंक (बैंक) के निदेशक मण्डल (यत्पश्चात् ''निदेशक मंडल'' कहा गया है, जिस शब्द में बोर्ड द्वारा इस विनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों सिहत उसके अधिकारों का प्रयोग करने हेतु गठित/गठित की जानेवाली सिमिति(याँ) शामिल समझा जाएगा, अनुमोदन, सहमित, अनुमित और मंजूरी के अधीन, एतद्द्वारा बैंक की ओर से प्रति ईकिटी शेयर ₹52.72 के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹2/- (रुपए दो मात्र) के अर्थात् ₹54.72 की इश्यू कीमत पर बैंक के 15,66,15,497 ईकिटी शेयर जिसकी कुल राशि ₹856,99,99,995.84 (रुपए आठ सौ छप्पन करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हज़ार नौ सौ पचानवे और चौरासी पैसे मात्र)(प्रीमियम राशि सहित) को भारत सरकार (अर्थात् भारत के राष्ट्रपति) को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009, (अर्थात सेबी आईसीडीआर विनियम) के अध्याय VII के विनियम 76 के अनुसार बोर्ड के निर्णयानुसार अधिमान शेयर के रूप में पेशकश करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाता है।''

- **''यह भी संकल्प किया जाता है कि** सेबी आईसीडीआर विनिमयों के अनुसार ईिकटी शेयरों के मूल्य के निर्धारण के लिए नियत तारीख 28 अगस्त, 2015 होगी।''
- "यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अपेक्षितानुसार प्रस्ताव में आशोधन करने का अधिकार होगा या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी/ स्टॉक एक्स्चेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचिबद्ध हैं, या उसको जारी करने, आबंटित करने तथा सूचिबद्ध करने के अनुमोदन, सहमित, अनुमित तथा मंजूरी देने के समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा लागू किए गए आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार होगा।
- "यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी और आबंटित किए जानेवाले नये ईक्टि शेयर डीमैट रूप में होंगे और सेबी आईसीडीआर विनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार निश्चित अवरुद्धता अविध (लॉक इन) अपेक्षाओं के अधीन होंगे और बैंक के वर्तमान ईक्टि शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सिहत) सममूल्य होंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाएंगे जहाँ बैंक के ईक्टि शेयर सूचीबद्ध हैं।"
- "यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु निदेशक मंडल को ऐसी समस्त कार्रवाई, कार्य, मामले और काम करने हेतु तथा उक्त ईक्टिंग शेयरों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले कि सी प्रश्न, कि टिनाई और संदेश को निपटाने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझा जाए। इसके अलावा उसे ऐसी समस्त कार्रवाई, कार्य, मामले और काम आवश्यक, वांछनीय और अनिवार्य दस्तावेज़ों और कागज़ात को अंतिम स्प देकर निष्पादित करने जो कि निदेशक मंडल के पूर्ण विवेक में उपयुक्त, उचित और वांछनीय हों, इसके लिए उन्हें शेयरधारकों से अतिरिक्त सहमित या अनुमोदन माँगना न पड़े और वे इस प्रकार प्राधिकृत हों मानो इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने उन्हें स्पष्टतया अनुमोदन दिया हो।"
- **''यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मंडल को पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशकों की समिति को अपने सभी या किसी अधिकार को प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा।''



Corporation Bank

HEAD OFFICE: MANGALADEVI TEMPLE ROAD, MANGALURU – 575 001 D.K. DISTRICT. KARNATAKA STATE. INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on Monday, the 28th day of September, 2015 at 11.00 a.m. at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangaluru - 575 001, to transact the following business:

Item No.1

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (the Act), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (the Scheme), Clause 23 & other related provisions of the Listing Agreement for Equity entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and the other Rules/ Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, which may be agreed to by the Board of Directors of the Corporation Bank (the Bank) (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this Regulation) be and is hereby authorised on behalf of the Bank, to create, offer, issue and allot upto 15,66,15,497 equity shares of ₹2/- each (Rupees Two only) for cash at a premium of ₹52.72 per equity share i.e. issue price of ₹54.72 aggregating upto ₹856,99,995.84 (Rupees Eight Hundred Fifty Six crore Ninety Nine lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Five and Paise Eighty Four only) (inclusive of premium amount) on preferential basis to Government of India (i.e. President of India) as determined by the Board in accordance with Regulation 76, Chapter VII of the Securities Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (i.e. the SEBI ICDR Regulations)."

"RESOLVED FURTHER THAT the relevant date for the determination of the price of the securities shall be 28th August, 2015 in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the new Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under the SEBI ICDR Regulations. The Equity Shares so allotted on Preferential basis shall rank pari passu in all respects (including Dividend) with the existing Equity Shares of the Bank and be listed on Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it to a committee of Directors of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution."

टिप्पणियाँ

1. व्याख्यात्मक कथन

बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन इसके साथ संलग्न है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिन शेयर धारकों को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उन्हें अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयर धारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रॉक्सी के रूप में कि सी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म बैठक प्रारंभ होने से कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात 23 सितंबर, 2015 को अपराह्न 5.00 बजे कार्यालय समय की समाप्ति या उससे पूर्व बैंक के निवेशक सेवा प्रभाग, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरू - 575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जानी चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, असाधारण महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्य प्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् 23 सितंबर, 2015 को अपराह्न 5.00 बजे कार्यसमय की समाप्ति अथवा उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूरु - 575001, कर्नाटक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

4. उपस्थिति पत्र-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उक्त उपस्थिति पत्र बैठक स्थान पर सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पत्र-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति - "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामले हो, उल्लिखित करें।

5. सूचना तामिल करना

बैंक की असाधारण महासभा की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धित सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्होंने अपनी ई-मेल आईडी संसूचना के लिए बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत करवाई है और इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध न किया हो। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत न करवाया हो, उन्हें बैंक की असाधारण महासभा की सूचना की कागज़ी प्रति अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धित सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ अनुमत विधि द्वारा भेजी जा रही है।

6. नोटिस में दिया गया व्यवसाय कार्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के द्वारा किया जायेगा साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साधनों से वोटिंग की सुविधा बैंक उपलब्ध करायेगा

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा वोटिंग

- क) कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के शेयरों के सूचीबद्ध करार के नियम 20 के साथ पठित खण्ड 35बी के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक, अपने सदस्यों को असाधारण महासभा (ईजीएम) में प्रस्तावित संकल्पों को पास करने हेतु अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने हेतु ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करता है। सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक की जगह के अतिरिक्त अन्य जगह से भी कर सकते हैं (रिमोट ई-वोटिंग)।
- ख) इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग करने की सुविधा (इंस्टा पोल) को बैठक के स्थान पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा बैठक में आने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट वोटिंग (इंस्टा पोल) द्वारा वोटिंग नहीं किया है वे अपना वोट दे सकेंगे।
- ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मत का प्रयोग किया है वे भी बैठक में भाग ले सकेंगे लेकिन पुनः मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि शेयरधारक के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए मत देना अनिवार्य नहीं है और निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक शेयरधारक अपने/उनका/उनकी मत देने की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
- घ) बैंक ने ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड(कार्वी) को नियक्त किया है।
- क) मतदान अधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि अर्थात 22 सितंबर, 2015 को सदस्य/लाभार्थी स्वामी द्वारा (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारिता मामले में) धारित शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर की जायेगी जो इस शर्त के अधीन होगा कि केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य कोई शेयरधारक बैंक के कुल शेयरधारकों के मताधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता हेतु मताधिकार के लिए पात्र नहीं होगा।

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be valid and effective, must be received by the Bank at its Investor Services Department, Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangaluru – 575 001, Karnataka State, **not later than FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., **5.00 p.m. of 23**rd **day of September, 2015.**

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangaluru – 575 001, Karnataka State, **not later than FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., **5.00 p.m. of 23**rd **day of September, 2015.**

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/ Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

5. SERVING OF NOTICE

Electronic copy of the Notice of the Extraordinary General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of the Notice of the Extraordinary General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form, are being sent in the permitted mode.

6. THE BUSINESS SET OUT IN THE NOTICE WILL BE TRANSACTED THROUGH ELECTRONIC VOTING SYSTEM AND THE BANK IS PROVIDING FACILITY FOR VOTING BY ELECTRONIC MEANS

VOTING THROUGH ELECTRONIC VOTING SYSTEM

- a) In compliance with provisions of Clause 35B of the Listing Agreement for Equity read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Bank is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the Extraordinary General Meeting (EGM) by electronic means. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ('remote e-voting').
- b) The facility for voting through electronic voting system ('Insta Poll') shall be made available at the Meeting and the members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting through 'Insta Poll'.
- c) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. It is hereby clarified that it is not mandatory for a shareholder to vote using the remote e-voting facility, and a shareholder may avail of the facility to cast his/her/their vote at the meeting, subject to compliance with the instructions prescribed below.
- d) The Bank has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide e-voting facility.
- e) Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the member / beneficial owner (in case of electronic shareholding) as on the **cut-off date** i.e 22nd September, 2015, subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

- च) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपाजिटरी के पास रखे लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में **कट-ऑफ तिथि** 22 सितंबर 2015 को दर्ज होगा वही रिमोट ई-वोटिंग/इंस्टा पोल के लिए पात्र होगा।
- छ) एक व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और **कट-ऑफ तिथि** अर्थात 22 सितंबर, 2015 को शेयर धारण करता है वह निम्नलिखित प्रकार से यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
 - बैंक को isd@corpbank.co.in पर लिखकर अथवा शेयरधारिता का पर्याप्त प्रमाण देते हुए डाक द्वारा लिखे अथवा कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को ई-वोटिंग की समाप्ति के पर्याप्त पहले <u>vlaksmi.p@karvy.com</u> पर लिखे ।
- ज) रिमोट ई-वोटिंग 24 सितंबर, 2015 (प्रातः 10 बजे) से शुरू होकर 27 सितंबर, 2015 (सायं 5.00 बजे) को समाप्त होगी तथा इस तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी। 22 सितंबर, 2015 (कट-आफ तिथि) को इलेक्ट्रानिक या भौतिक रूप से बैंक शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारक इस अविध के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग इस अविध के दौरान इलेक्ट्रानिक ढंग से कर सकते हैं। इसके बाद कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट इ-वोटिंग मॉड्यूल को ब्लाक कर दिया जायेगा। यदि शेयरधारक किसी संकल्प पर अपना वोट दे देता है तब बाद में इसके परिवर्तन की अनुमित नहीं होगी।
- झ) संयुक्त धारकों के मामले में,लॉगइन आईडी/यूजर आईडी को प्रथम शेयरधारक के नाम से भेजा जायेगा। तद्नुसार प्रथम शेयर धारक को भेजे गए यूजर आइडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए दिए जाने वाले मत को सभी शेयरधारकों की ओर से माना जायेगा क्योंकि कार्वी की रिमोट इ-वोटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए जो शेयरधारक मतदान करता है वह सभी संयुक्त शेयरधारकों की ओर से मतदान करता है। प्रथम शेयरधारक से तात्पर्य धारित शेयरों में पंजीकृत पहला नाम है।
- ञ) केवल वह शेयरधारक जो मतदान करने हेतु पात्र है वहीं रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान हेतु भी पात्र होगा। कोई व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार नहीं है इस सूचना को केवल सूचनार्थ समझें।
- त) मेसर्स इजेडवाई लाज, मुंबई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट (बार काउंसिल पंजीयन सं. एमएएच/5718/2011) को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी संवीक्षा हेतु मतपत्र-निरीक्षक नियुक्त किया गया है तथा उन्होंने नियुक्ति हेतु अपनी सहमित दी है एवं इस हेत् उपलब्ध रहेंगे।
- थ) मतपत्र-निरीक्षक पहले बैंठक में हुए मतदान के मतों की गणना करेगा (इंस्टा वोट), तत्पश्चात असाधारण महासभा की बैठक के तीन दिन के भीतर दो गवाहों जो बैंक या संगठन के कर्मचारी न हों उनके समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को अनब्लाक करेगा, अध्यक्ष को या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किए गए व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा एवं परिणाम को जारी किए जाने हेत् इस रिपोर्ट को प्रतिहस्ताक्षरित भी करेगा.
- द) घोषित परिणाम को मतपत्र-निरीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट <u>www.corpbank.com</u> तथा कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही परिणाम को स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई तथा बीएसई) को भी सुचित किया जाना चाहिए।
- ध) आवश्यक मतों के प्राप्त होने के अधीन संकल्प को बैठक की तिथि 28 सितंबर, 2015 को जारी मान लिया जायेगा।
- प) रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेश तथा अन्य सूचनाएँ :

रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

- I क. यदि किसी शेयरधारक को प्राधिकृत ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रदाता कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से ईमेल प्राप्त होता है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है):
 - i) वोटिंग के दौरान अपने वेब ब्राउज़र को खोलें और 'https://evoting.karvy.com' में नैविगेट करें।
 - ii) ई-मेल में/उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित लॉगइन विवरण (अर्थात् यूज़र आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। अपनी फोलियो/क्लाइंट आईडी आपकी युज़र आईडी होगी।

| यूज़र- आईडी | डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए:- |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | क) एनएसडीएल के लिए:- 8 कैरेक्टर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी। |
| | ख) सीडीएसएल के लिए:- 16 अंकों वाली लाभार्थी आईडी। |
| | कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए:- |
| | EVSN उसके बाद बैंक से पंजीकृत फोलियो संख्या |
| पासवर्ड | आपका विशिष्ट पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक सूचना के ज़रिए ईमेल द्वारा भेजा है। |
| कैपचा | सत्यापन कूट प्रविष्ट करें अर्थात् सुरक्षा कारणों से ठीक उसी तरीके से वर्णों और संख्याओं को प्रविष्ट करें। |

iii) किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए **ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रोवाइडर अर्थात कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.** की टोल फ्री सं. 18003454001 पर संपर्क करें।

- f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the **cut-off date**, i.e., 22nd September, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / Insta Poll.
- g) Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the **cut-off date** i.e., 22nd September, 2015, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below: by wirting to the Bank at <u>isd@corpbank.co.in</u> or by post to the Bank with authenticated proof of shareholding or write to KARVY Computershare Pvt. Ltd. at <u>vlakshmi.p@karvy.com</u>, sufficiently before the closing of the remote e-voting.
- h) The remote e-voting period commences on **24**th **September, 2015** (10.00 a.m.) and ends on **27**th **September, 2015** (5.00 p.m.) and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on **22**nd **September, 2015** (**cut-off date**), may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be blocked by Karvy Computershare Pvt. Ltd., for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- i) In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of Karvy, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.
- j) Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.
- k) **Mr. Ankur Kumar, Advocate** (Bar Council Registration No. **MAH/5718/2011) of M/s. Ezy Laws, Mumbai)**, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner and he has communicated his willingness to be appointed and will be available for same purpose.
- I) The Scrutinizer shall, first count the votes cast at the meeting (insta votes), thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and make, not later than three days of conclusion of the Extraordinary General Meeting, a consolidated scrutiniser's report of the total votes cast in favour or against, if any, and submit the report to the Chairman or a person authorised by him in writing and shall countersign the same to declare the result of voting forthwith.
- m) The Results declared alongwith the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.corpbank.com and on the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd. The results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges (NSE & BSE).
- n) Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the Meeting, i.e. 28th September, 2015.
- o) Instructions and other information relating to remote e-voting:

The instructions for remote e-voting are as under:

- I A. In case a shareholder receives an email from Karvy Computershare Pvt. Ltd. the authorised e-Voting Platform provider, [for shareholders whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)]:
 - i) Open your web browser on your computer/on the enabled gadgets during the voting period and navigate to https://evoting.karvy.com
 - ii) Enter the login credentials (i.e., user-id & password) mentioned in the e-mail /on the Attendance Slip. Your Folio/DP Client ID will be your User-ID.

| User-ID | For Members holding shares in Demat Form: a) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID. b) For CDSL: 16 digits beneficiary ID. For Members holding shares in Physical Form: • EVSN followed by Folio Number registered with the Bank. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Password | Your Unique Password is forwarded through the electronic notice via e-mail |
| Captcha | Enter the Verification code i.e., please enter the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons. |

iii) Please contact toll free No. 1800 345 4001 of e-Voting Platform provider, i.e., Karvy Computershare Pvt. Ltd., for any further clarifications.

- iv) उपयक्त तरीके से ब्यौरे प्रविष्ट करने के बाद "LOGIN" पर क्लिक करें।
- v) डीमैट/कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब पासवर्ड बदलने का मेनू पाएंगे जिसमें उन्हें नए पासवर्ड की फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में न्यूनतम आठ कैरेक्टर होने हैं जिनमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z) वाला, एक लोवर केस (a-z) वाला, एक संख्या (0−9) और एक विशेष कैरेक्टर हो। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसे पुनः प्राप्त करने के लिए आप गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि कर सकते हैं। आप अपने संपर्क ब्यौरों को भी अद्यतन कर सकते हैं। इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
- vi) कार्पोरेशन बैंक या भारत में किसी अन्य बैंक/कंपनी में, जिसमें आप मतदान करने के लिए पात्र हैं, भावी ई-वोटिंग संकल्प (संकल्पों) पर वोटिंग करने के लिए नए पासवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वह बैंक/कंपनी ई-वोटिंग के लिए कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के ई-वोटिंग प्लैटफार्म का चयन करती है।
- vii) आपको नए ब्यौरों अर्थात् पासवर्ड आदि के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।
- viii) सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद 'EVSN' अर्थात् 'बैंक का नाम' चुनने के लिए सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा।
- ix) वोटिंग पृष्ठ पर आपको संकल्प का विवरण दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' विकल्प होगा। 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' के अंतर्गत शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाते हैं) प्रविष्ट करें या विकल्प के तौर पर आप आंशिक रूप से कोई संख्या 'FOR' में प्रविष्ट कर सकते हैं और आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन FOR/ AGAINST' में कुल मिलाकर अपनी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शेयरधारक वोट नहीं डालना चाहता है तो 'ABSTAIN' चुने।
- x) मतदान करने के लिए संकल्प को चुनने के बाद "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण का बॉक्स दिखाई देगा। अगर आप अपने वोट की पृष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनसार अपने विकल्प को परिवर्तित करें।
- xi) एक बार आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" करते हैं, आपको अपने वोट को बदलने की अनुमित नहीं होगी और इसे आपके द्वारा अंतिम वोटिंग माना जाएगा।
- xii) कंपनी निकाय सहित संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर अन्य) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की स्कैन की गई प्रति (यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में एटैचमेंट के रूप में हो), जिसे जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, और उसके साथ वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ईमेल के ज़िरए evoting@karvy.com को प्रति अंकित करते हुए evoting@ezylaws.com पर स्क्रूटिनाइज़र को भेजें। फाइल का नाम "the body corporate Name......EVSN" फार्मेट में हो। उपर्युक्तानुसार स्कैन की गई प्रतियाँ ई-वोटिंग से पहले या तुरंत बाद ई-मेल द्वारा भेजी जानी है। अगर वह ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले स्क्रूटिनाइज़र/कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त नहीं होती है, तो की गई ई-वोटिंग कंप्यूटर सिस्टम में अस्वीकृत की जाएगी।

एक. यदि किसी शेयरधारक को असाधारण महासभा (ईजीएम) की सूचना की कागज़ी प्रति प्राप्त होती है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है और जो कागज़ी प्रति का अनुरोध करते हैं):

- इंजीएम के उपस्थिति पत्रक के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड दिया गया है।
 EVSN (ई वोटिंग क्रम संख्या) यूज़र आईडी पासवर्ड
- ii) कृपया वोट डालने के लिए उपर्युक्त क्रमांक IA(i) से क्रमांक (xii) तक दिए कदमों का अनुसरण करें।
- II यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयर धारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. से 1800 345 4001 (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।
- III अगर आपने ई-वोटिंग के लिए पहले ही कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के साथ रजिस्टर करवाया है तो आप अपना वोट डालने के लिए अपना वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- IV भावी संसूचनाएं भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोलियों के यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन भी कर सकते हैं।

7. शेयरधारकों से निवेदन

क) सूचना की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि असाधारण महासभा के समय सूचना की प्रतियाँ वितरित नहीं की जाएंगी, इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर या ई-मेल पते पर भेजी गई सूचना की प्रति या उसके उद्धरण को साथ लेकर आएं।

- iv) After entering these details appropriately, click on "LOGIN".
- v) Members holding shares in Demat/Physical form will now reach Password Change menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. You may also enter the Secret Question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. You can also update your contact details. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vi) The new password can be used for voting on future e-voting resolution(s) for Corporation Bank or any other Bank/Company in India on which you are eligible to vote, provided that Bank/Company opts for e-Voting through Karvy Computershare Private Limited, e-Voting Platform provider.
- vii) You need to login again with the new credentials i.e., with new password etc.
- viii) On successful login, system will prompt to select the 'EVSN' i.e., 'Bank Name'.
- ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents number of votes) under 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' or alternatively you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR/AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding/voting right. If the shareholder does not want to cast, select 'ABSTAIN'.
- x) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote
- xi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote and it will be treated as final voting by you.

I B. In case a shareholder receives physical copy of the Notice of Extraordinary General Meeting (EGM) [for shareholders whose e-mail IDs are not registered with the Bank/depository Participant(s) or requesting physical copy]:

i. Initial password is provided at the bottom of the Attendance Slip for the EGM:

EVSN (E-Voting Sequence Number) USER ID

PASSWORD

- ii. Please follow all steps from Sl. No. IA (i) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.
- II) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of https://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., on Tel. No.1800 345 4001 (toll free).
- **III)** If you are already registered with Karvy Computershare Pvt. Ltd., for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
- **IV**) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

7. REQUEST TO THE SHAREHOLDERS

(A) Copies of Notice

Shareholders are requested to note that copies of the Notice will not be distributed at the venue of the Extraordinary General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Notice or extract thereof, mailed by the Bank to them at their registered addresses and/or e-mail addresses.

ख) शेयरों का डीमेटीरियलाइजेशन

अपने शेयर प्रमाणपत्र अब भी कागज़ी रूप में धारित करनेवाले शेयरधारकों से अपने शेयरों को यथाशीघ्र डीमैट करवाने का अनुरोध किया जाता है।

ग) पता या ई-मेल आईडी में परिवर्तन

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पते में किसी परिवर्तन को निम्नलिखित को तुरंत अधिसूचित करें:

- शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को।
- कागज़ी रूप में धारित शेयरों के मामले में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., यूनिटः कार्पोरेशन बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर-बी,प्लाट सं.31 व 32 फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, गाचीबावली, नानक्रमगुडा, सेरेलिंगमपिछ, हैदराबाद 500 032 को।
- शेयरधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पते को बैंक में पंजीकृत/अद्यतन करें तािक बैंक ई-मेल द्वारा अपना सभी पत्राचार/सूचना/वार्षिक रिपोर्ट आदि भेज सके। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। कागज़ी रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को, जो बैंक का शेयर अंतरण एजेंट है, यथा शीघ्र अपना ई-मेल पता भेजें/अद्यतन करें।

घ) फोलियो का समेकन

जो शेयरधारक शेयर कागज़ी रूप में एक से अधिक फोलियो में एक ही नाम से या नाम के उसी क्रम में संयुक्त नाम से धारित करते हैं, उनसे अनुरोध है कि एकही फोलियो में समेकन हेतु शेयर प्रमाणपत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को भेजें।

ङ) स्थिति में परिवर्तन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को कागज़ी रूप में धारित शेयरों के संबंध में या शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को निम्नलिखित सूचना त्रंत दें:

- क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटने पर निवासी हैसियत में परिवर्तन।
- ख) भारत के बैंक खाते से संबंधित ब्योरे, पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, पिन सहित बैंक का पता दें, यदि पहले नहीं दिया हो।

च) संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि शेयर संयुक्त नाम में धारित है तो पहला नाम वाला शेयरधारक बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए पात्र होगा ।

छ) शेयरधारकों के मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 3 (2 ई) के प्रावधानों के अधीन, कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के खण्ड 68(i) के अनुसार, कट-ऑफ तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हस्त प्रदर्शन पर एक वोट होगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगा।

ज) अन्य सूचना

- क) पर्यावरण सजगता पहल के समर्थन में बैंक ने ईिकटी सूचीकरण करार के खण्ड 32 में दिए निदेशों के अनुसार, अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट/बैंक के रिजस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाई है, उन्हें असाधारण महासभा की सूचना की सॉफ्ट प्रतियाँ भेजने का निर्णय लिया है। लेकिन सदस्य कृपया यह नोट करें कि असाधारण महासभा की सूचना उनके द्वारा डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर भी उपलब्ध होगी। ई-संसूचना के लिए पंजीकृत करवाने के बावजूद, सदस्य, अनुरोध करने पर डाक से निशुल्क कागज़ी रूप में ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। किसी संसूचना के लिए शेयरधारक बैंक की विशिष्ट ईमेल आईडी isd@corpbank.co.in को या डाक द्वारा भी अनुरोध भेज सकते हैं।
- ख) शेयर धारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार-कृपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते कार्पोरेशन बैंक

> (एस. के. दाश) कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूरु

दिनांक: 02.09.2015

(B) Dematerialisation of Shares

Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized at the earliest.

(C) Change of Address or e-mail ID

Shareholders are requested to notify any change in their addresses to:

- Their respective Depository Participant, in case shares are held in dematerialised form.
- The Share Transfer Agent, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit: Corporation Bank, Karvy Selenium Tower-B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Gachibowli, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad 500 032 in case shares are held in physical form.
- Shareholders are also requested to register/update their e-mail address with the Bank to enable the Bank to send all communications/notices/Annual Report etc., through e-mail. Shareholders holding shares in demat mode are requested to register/update their e-mail addresses with their respective Depository Participants. Shareholders holding physical shares are requested to send/update their e-mail address with M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., the Share Transfer Agent of the Bank, at the earliest.

(D) Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names, are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

(E) Change of Status

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., in respect of shares held in physical form or to inform their respective Depository Participants if shares are held in dematerialised form immediately of:

- a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

(F) Exercise of Rights of Joint Holders

If shares are in the names of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote.

(G) Voting Rights of Shareholders

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

In terms of Clause 68(i) of Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the cut-off date, shall have one vote on show of hands and in case of a poll, shall have one vote for each share held by him.

(H) Other Information

- a) In support of the green initiative, the Bank has decided to send soft copies of the Notice of Extraordinary General Meeting to all the shareholders who have registered their e-mail ids with their Depository Participant/Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, as per the directions contained in Clause 32 of the Listing Agreement for Equity. However, Members may note that the Notice of the Extraordinary General Meeting will also be available on the Bank's website www.corpbank.com for their download. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive such communication in physical form, upon making a request for the same by post free of cost. For any communication, the shareholders may also send requests to the Bank's dedicated email ID -: isde@corpbank.co.in or by post.
- b) Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors for CORPORATION BANK

(S. K. DASH) COMPANY SECRETARY

Place: Mangaluru Date: 02.09.2015

व्याख्यात्मक कथन

बैंक बैंकिंग और संबंधित क्रियाकलापों के कारोबार में है। संप्रति बैंक की प्राधिकृत पूँजी ₹3000 करोड़ (रुपए तीन हज़ार करोड़ मात्र) है। 31 मार्च, 2015 को बैंक की प्रदत्त ईक्टिं शेयर पूँजी ₹167.54 करोड़ है।

प्रारंभिक पब्लिक ऑफर के समय आपके बैंक का पूँजी आधार ₹82.00 करोड़ था जिसमें प्रत्येक ₹10/- के 8,20,00,000 ईक्टि शेयर थे। वर्ष 1997 में आपके बैंक ने ₹70/- के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- के 3,80,00,000 ईक्टि शेयरों के प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ) द्वारा अतिरिक्त पूँजी जुटाई थी।

इसके अलावा बैंक ने वर्ष 2001 में भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान इश्यू द्वारा ₹186/- के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- के 2,34,40,000 ईक्टिं शेयर जारी किए थे।

इसके अलावा बैंक ने वर्ष 2011 में ₹ 648.49 के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹ 10/- के 46,92,554 ईक्टिी शेयर भारत सरकार को अधिमान आबंटन के आधार पर जारी किए थे।

आगे मार्च 2013 में ₹416.32 के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/-के 47,85,137 ईिकटी शेयर भारत सरकार को अधिमान आधार पर जारी किए गए। दिसंबर 2013 में बैंक ने पुनः ₹10/- के 1,46,27,486 ईिकटी शेयर को ₹297.64 के प्रीमियम पर भारत सरकार को अधिमान आधार पर जारी किए।

जनवरी 2015 में बैंक के ईकिटी शेयर के मूल्य को प्रति शेयर ₹10/- से कम करके ₹2/- किया गया। तदनुसार बैंक की जारी, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूँजी 83,77,09,385 ईकिटी शेयरों के साथ ₹167.54 करोड़ है।

वर्तमान में आपके बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता ₹106.11 करोड़ है जो बैंक की प्रदत्त पूँजी का 63.33% है। 30 जून, 2015 को बैसल-III के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजीगत निधियाँ निम्नानुसार हैं:

| विवरण (यथा 30.06.2015) | राशि (₹ करोड़ में) | जोखिम भारित आस्ति से पूँजीगत निधियों का % |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| जोखिम भारित आस्तियाँ | 137317.10 | |
| टियर - I पूँजी | 11236.79 | 8.18% |
| टियर - II पूँजी | 4247.40 | 3.10% |
| कुल पूँजीगत निधियाँ | 15484.19 | 11.28% |

बैंक द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार पिलर II के जोखिम हेतु 0.50% को मानते हुए 31 मार्च, 2016 को टियर I पूँजी का 8.13% में बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने ईक्टिंग के अधिमान्य आबंटन द्वारा ₹857 करोड़ (आठ सौ संतावन करोड़ मात्र) की पूँजी लगाने का निर्णय लिया है। वर्तमान संकल्प **एक विशेष संकल्प** के रूप से पारित करने का प्रस्ताव है ताकि बैंक का निदेशक मण्डल उपर्युक्त अधिमान इश्यू कर सके।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित अधिमान इश्यू से संबंधित निम्नलिखित ब्योरे प्रकट किए जाते हैं:

I. प्रस्तावित अधिमान इश्य का उद्देश्य:

पिछले कई वर्षों से बैंक 20% की औसत वृद्धि दर से प्रगित कर रहा है। दीर्घाविध स्रोतों के द्वारा कारोबार में विस्तार करने हेतु तथा बोर्ड के निर्णयानुसार तथा पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए, बैंक सामान्य उधार प्रयोजनों हेतु निधियों की बढ़ती अपेक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) के विनियम 76, अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित ₹54.72 की कीमत पर भारत सरकार को 15,66,15,497 ईिकटी शेयर अधिमान इश्यू द्वारा जारी करते हुए निधियों को जुटाने का प्रस्ताव रखता है।

इस प्रकार अधिमान आबंटन द्वारा दी जानी वाली पूँजी का उपयोग किसी भी रूप में, किसी अनुषंगी या संयुक्त उद्यम में निवेश करने के लिए बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा।

II. उक्त ऑफर हेतु अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों / निदेशकों / प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव

खण्ड (V) में उल्लिखत बैंक के प्रवर्तक अर्थात भारत सरकार के अलावा किसी निदेशक या प्रबंधन का प्रमुख व्यक्तिका उक्त ईिकटी शेयरों में अभिदान करने का उद्देश्य नहीं है।

EXPLANATORY STATEMENT

The Bank is in the business of the banking and its related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is ₹3000 crore (Rupees Three thousand crore only). The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st March 2015 is ₹167.54 crore.

At the time of the Initial Public Offer, your Bank had a Capital base of ₹82.00 crore consisting of 8,20,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. In the year 1997, your Bank had raised additional capital by way of Initial Public Offer (IPO) consisting of 3,80,00,000 equity shares of ₹10/- each at a premium of ₹70/-.

The Bank further issued 2,34,40,000 Equity Shares of ₹10/- each for cash at a premium of ₹186/- through a Preferential issue to Life Insurance Corporation of India in 2001.

In the year 2011, the Bank further issued 46,92,554 Equity Shares of ₹10/- each for cash at a premium of ₹648.49 on Preferential basis to Government of India.

In March 2013, the Bank further issued 47,85,137 Equity Shares of ₹10/- each for cash at a premium of ₹416.32 on Preferential basis to Government of India.

In December 2013, the Bank further issued 1,46,27,486 Equity Shares of ₹10/- each for cash at a premium of ₹297.64 on Preferential basis to Government of India.

During January 2015, the face value of the Bank's Equity Share was reduced from ₹10/- to ₹2/- per share. Accordingly, the Issued, Subscribed and Paid-up Capital of the Bank is consisting of 83,77,09,385 Equity Shares amounting to ₹167.54 crore.

Presently, the shareholding of Government of India in your Bank is ₹106.11 crore, which constitute 63.33% of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as per Basel III requirement, as on June 30, 2015 is as under.

| Particulars (As on 30.06.2015) | Amount ₹ in crore | % of capital funds to risk weighted asset |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Risk Weighted Assets | 137317.10 | |
| Tier-I Capital | 11236.79 | 8.18% |
| Tier-II Capital | 4247.40 | 3.10% |
| Total Capital Funds | 15484.19 | 11.28% |

To enable the Bank to meet targeted Tier-I Capital of 8.13% after reckoning 0.50% for Pillar II Risk as on 31st March 2016 as per the projections made by the Bank, the Government of India has decided to infuse capital to the extent of ₹857 crore (Rupees Eight hundred fifty seven crore only) by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India.

The present resolution is proposed to be passed as a special resolution in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue.

The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations:

I. The Objects of the proposed Preferential Issue:

The Bank is growing at an average growth rate of around 20% over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board as also to comply with BASEL-III requirements relating to capital adequacy, the Bank proposes to raise funds by way of Preferential issue upto 15,66,15,497 equity shares at a price of ₹54.72 to Government of India, determined in accordance with the provisions of Regulation 76, Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended from time to time, ("SEBI ICDR Regulations").

The capital to be raised through this preferential allotment of equity will not be used by the Bank for making investment, in whatever form, in any of its subsidiaries, joint ventures etc.

II. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer: None of the Directors or Key Management persons other than Promoter of the Bank i.e. Government of India as mentioned in Clause (V) below intends to subscribe to the equity shares.

III. प्रस्तावित अधिमान ऑफर से पहले और बाद में शेयरधारिता पैटर्न:

| क. सं. | शेयरधारकों का नाम | शेयरों की संख्या केअनुसार आबंटन से पूर्व | आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूँजी का % | शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद | आबंटन के बाद प्रदत्त पूँजी का % |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | प्रवर्तक - भारत के राष्ट्रपति | 53,05,25,885 | 63.33 | 68,71,41,382 | 69.11 |
| 2. | अन्य शेयरधारक | 30,71,83,500 | 36.67 | 30,71,83,500 | 30.89 |
| 3. | कुल (1+2) | 83,77,09,385 | 100.00 | 99,43,24,882 | 100.00 |

IV. अधिमान इश्यू पूरा करने की समयावधि:

शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर आबंटन को पूरा किया जाएगा बशर्ते कि आबंटन का समय ऐसे आबंटन हेतु किसी विनियामक प्राधिकारी, यदि कोई, से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लिए जानेवाले समय तक बढ़ाया जाएगा ।

V. प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान और उनके द्वारा अधिमान इश्यू के पश्चात धारित प्रतिशतता और अधिमान इश्यू के परिणामस्वस्प इश्युकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि हो :

| प्रस्तावित आबंटितियों | शेयरों की संख्या | आबंटन से पूर्व | अधिमान आधार पर | शेयरों की संख्या | आबंटन के बाद | आबंटन के |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| की पहचान | के अनुसार आबंटन | प्रदत्त पूँजी का | आबंटित किए जाने वाले | के अनुसार | प्रदत्त पूँजी का | बाद वृद्धिशील |
| | से पूर्व | % | ईक्टिी शेयरों की सं. | आबंटन के बाद | % | % |
| भारत के राष्ट्रपति | 53,05,25,885 | 63.33% | 15,66,15,497 | 68,71,41,382 | 69.11 | +5.78% |

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक , अर्थात् भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेंगे और प्रस्तावित अधिमान आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि आबंटन पश्चात वृद्धि प्रतिशत 5.78% है अत: सेबी अधिनियम, 2011 (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और प्राप्त करना) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक छूट प्राप्त की जाएगी ।

VI. प्रस्तावित अधिमान इश्यू का मूल्यन:

इश्यू मूल्य सेबी संशोधित आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76(1) तथा 76(4), अध्याय VII के अनुसार निर्धारित किया गया है।

परिणामी ईक्टिंग शेयरों का इश्यू मूल्य निर्धारित करने हेतु ''संबंधित तारीख'' 28 अगस्त, 2015 होगी, जो अपेक्षित बहुमत के सदस्यों द्वारा इस संकल्प को पारित करने की तारीख अर्थातु 28 सितंबर 2015 से 30 दिन पूर्व तारीख है।

बैंक के ईक्टिंग शेयर छब्बीस हप्तों से अधिक समय से सूचीबद्ध है और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(3) और 78(5) लागू नहीं है।

VII. आशय-पत्र:

आपके बैंक को संदर्भ संख्या एफ सं.7/38/2014-बीओए दिनांक 19 अगस्त, 2015 द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग से संसूचना प्राप्त हुई है कि भारत सरकार अर्थात् भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में ईकिटी के अधिमान्य आंबटन द्वारा ₹857 करोड़ (रुपए आठ सौ सतावन करोड़ मात्र) की हद तक पूँजी लगाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है।

VIII. सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्रमाणन:

प्रस्तावित अधिमान इश्यू पर विचार करने के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों से यह प्रमाणित करते हुए प्राप्त प्रमाण-पत्र शेयरधारकों की असाधारण महासभा में रखा जाएगा कि उक्त इश्यू सेबी (आईसीडीआर) विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है। उक्त प्रमाण-पत्र की एक प्रति 28 सितंबर, 2015 को असाधारण महासभा में निरीक्षण हेत् उपलब्ध कराई जाएगी।

IX. निश्चित अवरुद्धता अवधि:

भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपित) की पूर्ण अधिमान पूर्व धारिता संबंधित तारीख से इकिटी शेयरों के व्यापार का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से छः महीने के लिए अलरुद्ध रहेगी तथा प्रवर्तकों को अर्थात् भारत सरकार को अधिमान आधार पर जारी करने हेतु प्रस्तावित ईक्टिंग शेयर व्यापार का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए निश्चित अवरुद्धता अविध के अधीन होगी।

III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

| Sr. No. | Name of Shareholders | Pre-allotment in terms of No. of Shares | % of Pre- allotment Paid up Capital | Post-allotment in terms of No. of Shares | % of Post- allotment Paid up Capital |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Promoter-President of India | 53,05,25,885 | 63.33 | 68,71,41,382 | 69.11 |
| 2. | Other Shareholders | 30,71,83,500 | 36.67 | 30,71,83,500 | 30.89 |
| 3. | Total (1+2) | 83,77,09,385 | 100.00 | 99,43,24,882 | 100.00 |

IV. The timeline within which the Preferential issue shall be completed:

The allotment of equity shares on Preferential basis shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority if any.

V. The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

| Identity of the Proposed Allottee | | % of the Pre- allotment Paid up Capital | No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis | Post- allotment in terms of No. of Shares | % of Post- allotment Paid up Capital | Incremental % post- allotment |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| President of India | 53,05,25,885 | 63.33% | 15,66,15,497 | 68,71,41,382 | 69.11 | +5.78% |

The existing promoters of the Bank i.e. Government of India (the President of India) will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment. Since, the incremental post allotment percentage is 5.78%, necessary exemption as per the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011, shall be obtained.

VI. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price has been determined in accordance with Regulation 76, Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations as amended upto date.

The "relevant date" for determining the issue price of the resultant Equity Shares is **28**th **August**, **2015**, being the date which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e., **28**th **September**, **2015**.

The Equity Shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

VII. Letter of Intent:

Your Bank has received a communication vide reference Number F.No. 7/38/2014-BOA dated 19th August, 2015 from the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, agreeing to infuse capital to the extent of ₹857 crore (Rupees Eight hundred fifty seven crore) by way of preferential allotment of equity shares in favour of the Government of India, i.e., President of India.

VIII. Certification from Statutory Auditors:

A Certificate from the Statutory Auditors shall be placed before the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI ICDR Regulations. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 28th September, 2015.

IX. Lock-in period:

The entire pre-preferential holding of Government of India (President of India) will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of Trading approval granted for Equity Shares and the Equity Shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e., Government of India shall be subject to a lock-in period of three years from the date of Trading approval.

- X. भारत सरकार के सभी शेयर डीमैट रूप में होंगे और स्टॉक एक्स्चेंजों, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, में निर्धारित सूचीकरण करार में विनिर्दिष्टानुसार ईक्टिंग सतत सूचीकरण के शर्तों के अनुसार करती है।
- XI. भारत सरकार ने निर्धारित तारीख से पूर्व छः महीनों के दौरान बैंक के किसी ईिकटी शेयर का विक्रय नहीं किया है।
- XII. उपर्युत्तानुसार जारी ईक्टिी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के वर्तमान ईक्टिी शेयरों के सममूल्य पर होंगे।
- XIII. भारत में बैंक के ईक्टि शेयरों को सूचीबद्ध किए गए विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खण्ड 23 में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा उपबंध है कि जब अतिरिक्त शेयर आबंटित करते हुए बैंक की निर्गमित पूँजी को बढ़ाने का प्रस्ताव है, वहाँ विशेष संकल्प द्वारा महासभा में शेयरधारकों द्वारा अन्यथा निर्णय न लेने पर ऐसे शेयर बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु सबसे पहले ऑफर किए जाएंगे। चूँकि पूर्णतः प्रदत्त ईक्टि शेयरों का प्रस्तावित आबंटन बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को आनुपातिक रूप से नहीं है, अतः उपर्युक्त संकल्प पारित करने की आवश्यकता है। यही नहीं, यह सेबी (आईसीडीआर) विनियम के विनियम 72 के अंतर्गत अपेक्षित भी है।
- XIV. उपर्युक्त को देखते हुए, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अधीन, जो निम्नानुसार है:

"केन्द्र सरकार के अलावा प्रतिनिधिक नए बैंक का कोई भी शेयरधारक प्रतिनिधिक नए बैंक के सभी शेयरधारकों के द्वारा धारित शेयरों के संबंध में दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग रपने हेतु पात्र नहीं होगा और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 61 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 के अध्याय VII के अनुसार विशेष संकल्प के रूप में उपर्युक्त संकल्प को पारित करने हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन माँगा जा रहा है।

- XV. आपके निदेशक उक्त संकल्प को अनुमोदन हेतु सिफारिश करते हैं
- XVI. बैंक के निदेशकों को अपनी व्यक्तिगत हैसियत से या भारत सरकार के नामिती के रूप में बैंक में उनकी शेयरधारिता की हद तक संकल्प की सूचना से संबंधित या हित निहित माना जाए

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते कार्पोरेशन बैंक

> (एस. के. दाश) कंपनी सचिव

2/18

स्थान : मंगलूरु दिनांक : 02.09.2015

- **X.** All the shares held by the Government of India are in dematerialised mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- XI. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- XII. The Equity Shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing Equity Shares of the Bank.
- XIII. Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed, provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than on pro rata basis to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations.
- **XIV.** In view of the above, approval of the shareholders is sought, subject to provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, which is stated as under:

"No shareholder of the corresponding New Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting right in respect of the shares held by them in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding New Bank", and in terms of the provisions of the Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended read with Regulation 61 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, to pass the above Resolution as a Special Resolution.

- **XV.** Your Directors recommend the resolution for your approval.
- **XVI.** The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution of the notice to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

By order of the Board of Directors for CORPORATION BANK

(S. K. DASH) COMPANY SECRETARY

Place: Mangaluru Date: 02.09.2015



कार्योरेशन बेंक

प्रधान कार्यालय: मंगलुरु-575 001

| पंजीकृत फोलियो सं. सीबीई(यदि डीमेट न किया गया हो) |
|---------------------------------------------------|
| डीपीआईडी सं |
| ग्राहक आईडी सं |
| (यदि डीमेट किया गया हो) |

फार्म 'बी'

पॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

| मैं/हम | | | र | ाज्य के |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| जिले के | | | का/के निव | गासी कार्पोरेशन बैंक |
| का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा | | | | |
| निवासी श्री/श्रीमती | | | | |
| को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर | | | | |
| श्री/श्रीमती | | . को 28 सितं | बर, 2015 क |) तो, सहस्राब्दि भवन, |
| कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूरु में आयोजित होनेवाली बैंक के शेयर | | | | |
| ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं। | | | | |
| माह के दिन, 2015 को हस्ताक्षरित। | | ٠ | ज्यया पंद्रह पैसे ज रसीदी टिकट चिपकाएं | |
| प्रॉक्सी के हस्ताक्षर | प्रथम धारक/एकम | त्र भारत के र | राजाथा | |
| त्राक्सा क हस्ताद्वर | , · नाम : | | | |
| प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश | | | | |

- - क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 - ख. संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य-रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 - ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में यह सामान्य मोहर अगर कोई है. के साथ इसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
- 2. प्रॉक्सी की कोई लिखत जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार, एश्योरेंस या किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या कार्पोरेशन बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की गयी हो।
- 3. प्रॉक्सी के साथ
 - क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
 - ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तरनामा या प्राधिकार की प्रति असाधारण महासभा प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 23 सितंबर, 2015 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक या उसके पहले कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
- यदि संबद्ध मुख्तारनामा कार्पोरेशन बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तरनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए।
- कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया जाए।
- बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- 7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में प्रदान की गई है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- शेयरधारक जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा।
- कार्पोरेशन बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- 10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि यह फार्म ''बी'' में न हो।



Corporation Bank

Head Office: Mangaluru - 575 001

| Regd. Folio No.CBE(If not Dematerialised) |
|-------------------------------------------|
| DPID No |
| Client ID No |
| (If Dematerialised) |

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

| I/We, | | | Residen | |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| | | | State of | |
| being a shareholder/s | of CORPORATION BANK | , hereby appoint Shri/Smt | | |
| <u> </u> | resident of | | _ in the district of | |
| | in the State of or failing him/her, Shri/Smt | | r failing him/her, Shri/Smt | |
| | resident of | in the district of | | |
| in the State of | a | s my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the EXTRAORDINARY | | |
| GENERAL MEETIN | NG of the shareholders of the | he Bank to be held on 28th day of | September, 2015, at MILLENNIUM | |
| BUILDING, CORPO | ORATION BANK, HEAD C | FFICE, MANGALURU and at any a | djournment thereof. | |
| Signed this | day of | 2015. | Please affix fifteen paise revenue stamp | |
| Signature of the Pro | | Signature of the first holder/sole holder | | |
| | | | | |
| | | Address : | | |
| | | | | |

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. The instrument of proxy to be valid,
 - a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
- 2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar of Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Corporation Bank.
- 3. The proxy together with
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Corporation Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. 5.00 p.m. of 23rd day of September, 2015.
- 4. In case the relevant power of attorney is already registered with Corporation Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
- 5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- 6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- 9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of CORPORATION BANK.
- 10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

टिप्पणियाँ

NOTES